न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/336

1. कालूराम दत्तक पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम बुडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति शांति देवी पत्नि श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. श्रीमति काली देवी पत्नि मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नि स्व0 कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम बुडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. ग्राम पंचायत बुडथल जरिये सरपंच तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 15.06.2015 बअपील कालूराम बनाम शांति जिसके जरिये नामान्तकरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 ग्राम पंचायत बुडथल द्वारा स्वीकृत को बहाल रखा गया।

उपस्थित–

1. श्री संजय जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद कुमार मांडीया रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–27.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.06.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई थी जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.05.2015 द्वारा खारिज किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी दायर होने पर उक्त निगरानी के निर्णय दिनांक 06.12.2018 द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड करने पर पुनः नम्बर पर ली गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष ग्राम बुडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर की विवादित भूमि खसरा नम्बर 197 से 199, 213 से 215, 814, 815, 819 से 822 किता 12 कुल रकबा 3.00 है0 एवं खसरा नं. 341 से 344, 359 किता 5 कुल रकबा 0.16 है0 एवं खसरा नं. 174, 224 से 228, 354 से 358, 360 से 369, 600 से 602 किता 24 कुल रकबा 2.91 है0 के ग्राम पंचायत बुडथल द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 को गलत बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2015 को अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी बस्सी की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष होने पर दिनांक 22.05.2015 द्वारा अपील खारिज किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी दायर होने पर उक्त निगरानी के निर्णय दिनांक 06.12.2018 द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण न्यायालय हाजा को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी का रिकॉर्ड मगवाया जाकर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बुडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 197 से 199, 213 से 215, 814, 815, 819 से 822 किता 12 कुल रकबा 3.00 है0 एवं खसरा नं. 341 से 344, 359 किता 5 कुल रकबा 0.16 है0 एवं खसरा नं. 174, 224 से 228, 354 से 358, 360 से 369, 600 से 602 किता 24 कुल रकबा 2.91 है0 के अपीलार्थी के पिता कल्याण पुत्र भोरया मीणा काबिज खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज रहा है। अपीलार्थी के पिता के कोई सन्तान नहीं होने से अपनी पत्नि व जायदां पुत्रियों तथा अन्य परिवारजन की सहमति से अपने भतीजे कालूराम को रजिस्ट्रर्ड गोदनामें से गोद लेकर दत्तक पुत्र मान लिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी रिकॉर्डेड खातेदार कल्याण के पुत्र होने व कल्याण के नाओलाद फौत होने से वह ही कल्याण का एकमात्र जीवित वारिस था। जिस कारण कल्याण के मालिकाना हक व आधिपत्य की उक्त भूमियों का अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत बुडथल द्वारा विधिविरूद्ध गलत नीयत के उद्देश्य से उसके परिवारजन ने आपस में साज कर गलत रूप से नामान्तरकरण 182 दिनांक 21.01.2008 दर्ज करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा भी दिनांक 15.06.2015 को बिना अनुसूचित जनजाति के नियमों एवं तथ्यों पर गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 15.06.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 ग्राम पंचायत बुडथल को निरस्त फरमाया जावे

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया के पिता कल्याण के खातेदारी की भूमि थी। प्रार्थीया के पिता के फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण का हिस्सा नियमानुसार निहित है। नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 ग्राम पंचायत बुडथल द्वारा विधिसम्मत वारिसान की जॉच पश्चात् उचित तरीके से ही खोला गया है। प्रार्थीगण स्व0 कल्याण के प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान् है। जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् अपील खारिज कर नामान्तरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 ग्राम पंचायत बुडथल बहाल रखा गया है। जिसको पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा खारिज करने के आदेश दिये गये थे। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही मृतक वारिस के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 को लेकर है जो कि कल्याण पुत्र भोरया मीणा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट का कथन है कि उसका खातेदार कल्याण नाऔलाद फौत हुआ है वह उसके पिता के कोई सन्तान नहीं होने से अपनी पत्नि व जायदां पुत्रियों तथा अन्य परिवारजन की सहमति

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से रजिस्ट्रर्ड गोदनामें से गोद लेकर दत्तक पुत्र मान लिया गया। वह उसका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत बुडथल द्वारा वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 21.01.2008 विधिक वारिसान् की विधिवत जॉच पश्चात् ही तस्दीक किया गया है। अपीलांट को एकमात्र विधिक वारिस ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है खातेदार के अन्य वारिसान् का भी अपने पिता व पति की भूमि में हिस्सा पाने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा भी तथ्यों व रिति–रिवाजों के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2015 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2015 उचित व विधिसम्यक है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2015 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर